न्याय में देरी से अर्थव्यवस्था को नुकसान

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) एवं प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-समीर मलिक, संजीब पोहित (नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ कार्यरत)

22 जनवरी, 2019

"भारत जैसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश में, विवादों के त्वरित निपटारे के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है।"

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से, भारत ने लगभग सभी आर्थिक संकेतकों में काफी सुधार किया है और अब यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है। वर्तमान सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था को पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है। इनमें वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत के माध्यम से कर सुधार,भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने वाले सुधार और दिवालिया और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन शामिल हैं।

लेकिन भारत ने इसकी गुणवत्ता को मजबूत बनाने पर कभी ध्यान नहीं दिया, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक इंजन का काम करती है। लोकतंत्र के रूप में, भारत को एक फायदा है: उसके सभी संस्थानों की जड़ें मजबूत हैं। हालांकि, वे बढ़ती आबादी और बढ़ती मांगों के साथ बढ़ने में विफल रहे हैं। साथ ही न्यायिक प्रणाली, विशेष रूप से, कुशल कामकाज के लिए आवश्यक गति तक पहुंचने से बहुत दूर है।

एक अयोग्य न्यायपालिका:-

बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में न्यायपालिका के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। बाजार की अर्थव्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य करे, इसके लिए तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं पहला, सूचना में पारदर्शिता, दूसरा, कुशल विवाद निपटान और तीसरा, प्रभावी न्यायपालिका द्वारा संचालित समयबद्ध तरीके से अनुबंध प्रवर्तन।

एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में प्रतिभागियों के बीच लेन-देन में सरकार की बहुत कम भूमिका होती है। दरअसल,यह कुशल विवाद निपटान तंत्र स्थापित करके एक प्रभावी भूमिका निभाता है, ताकि लेनदेन की लागत कम से कम हो। ऐसी अर्थव्यवस्था में न्यायपालिका न्यूनतम लागत के माध्यम से विवादों के मामले में अनुबंध लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्षों से और इंटरनेट के आगमन के बाद, भारत ने सूचना की पारदर्शिता की ओर एक लम्बी छलांग लगाई है। हालांकि, सच्चाई ये भी है कि एक अक्षम न्यायपालिका के कारण विवाद निपटान तंत्र के मामले में बहुत कम प्रगति हुई है।

आंकड़ों के अनुसार

- स्थिति इतनी गंभीर है कि 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण को 'समय पर न्याय' (Timely Justice) की आवश्यकता पर एक पूरे अध्याय को अलग करना पड़ा। जहाँ यह नोट किया गया कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की वर्तमान कार्य क्षमता केवल 63.6% है।
- इसके अलावा, बड़ी संख्या में लंबित मामले की भी समस्या गंभीर स्थिति में व्याप्त है, जिसमें प्रमुख न्यायाधिकरणों में से छह में 1.8 लाख और उच्च न्यायालयों में 3.5 मिलियन के करीब लंबित मामले पड़े हुए हैं।
- आर्थिक मामलों के लिए, पांच प्रमुख उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की औसत अवधि लगभग 4.3 वर्ष है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य लगभग जीडीपी का 0.08-0.09% न्याय प्रशासन पर खर्च करते हैं, जो बहुत कम है।
- 2017 में, जहाँ एक तरफ भारत ने न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति लगभग 0.24 रूपए खर्च कियें तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा 12 रूपए खर्च किये गये।
- हालांकि, भारत के बजट की तुलना दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के साथ करना उचित नहीं है, लेकिन भारत के लिए एक मानदंड स्थापित करना भी आवश्यक है।

समस्या आर्थिक सिद्धांत के साथ निहित है

हमारे नीति निर्माताओं के विपरीत, दूसरे देशों के लोगों को एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के कुशल कामकाज में न्यायपालिका के महत्व का एहसास अधिक है। यहाँ समस्या आर्थिक सिद्धांत के साथ निहित है। सुधार के प्रस्तावक नवपारंपरिक अर्थशास्त्र (Neoclassical Economics) के विचार से संबंधित हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि लेन-देन निःशुल्क है। हालांकि, रिचर्ड कोसे और डगलस नॉर्थ के लेखन ने हमें सिखाया है कि वास्तव में, नियम और विनियम, जो आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि लेन-देन महंगा है या नहीं।

नए संस्थागत अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत नियोक्लासिकल इकोनॉमिक्स की दो महत्त्वपूर्ण मान्यताओं पर सवाल उठाता है – महंगा लेनदेन और सही जानकारी, तथा लेन-देन की लागत को कम करने, विनिमय के लिए एक पूर्वानुमान योग्य रूपरेखा प्रदान करने और अपूर्ण जानकारी पर काबू पाने के द्वारा बाजार विनिमय की सुविधा में संस्थानों की भूमिका पर जोर देता है। भारत में, नए संस्थागत अर्थशास्त्र का अभ्यास करने वाले हैं और वो यह बता सकते हैं कि पिछले एक दशक में इस पहलू को संबोधित क्यों नहीं किया गया है।

न्यायपालिका पर कम ध्यान यह जाहिर करता है कि अनुबंधों का पालन न करना भारत में बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आधिकारिक विवाद निपटान तंत्र समयबद्ध तरीके से न्याय प्रदान नहीं करता है। प्रतिभागी सरकारी अधिकारियों को भुगतान करके सिस्टम को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं, जिसके कारण एक प्रणाली लाइसेंसी राज में प्रथागत हो गई।

अधिकारी त्वरित धन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्योंकि पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है, जिससे घूसखोरी आदर्श बन जाती है। बेशक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अध्ययनों से पता चला है कि संस्थानों को मजबूत बनाना और सत्ता द्वारा प्राप्त राजनीतिक शक्ति हितों के टकराव में हैं। भारत की आर्थिक सीढ़ी को मजबूत करने के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माण काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगा। अन्यथा, भारत क्रोनी पूंजीपतियों (व्यापारी वर्ग और राजनीतिक वर्ग के बीच गठजोड़) का ही देश बना रह जाएगा।

GS World टीम...

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है।
- विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर, 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट जारी की। भारत की यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
- दस में से 8 मानकों में भारत की स्थिति सुधरी है।
- दरअसल, पिछले वर्ष 190 देशों की सूची में भारत को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली थी।
- पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है।
- दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है। इससे पहले साल 2014 में भारत 6वें स्थान पर था।

क्या है?

- ईज ऑफ डूईग बिजनेस से अर्थ है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है।
- कारोबार के नियामकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है।
- डूईग बिजनेस रैंकिंग डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) के आधार पर तय की जाती है और यह स्कोर दिखाता है कि वैश्विक मानकों पर अर्थव्यवस्था कारोबार के मामले में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
- वर्ष 2018 में भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले साल के 60.76 से बढ़कर 67.23 पर आ गया है।

दुर्लभ उपलब्धि

- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी, जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- कारोबार सुगमता रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का नंबर आता है।
- सूची में अमेरिका आठवें, चीन 46वें और पाकिस्तान 136वें स्थान पर है। विश्व बैंक ने इस मामले में सबसे अधिक सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दसवें स्थान पर रखा है।
- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में की गयी सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।

कैसे तय होती है यह रैंकिंग?

- भारत ने वर्ष 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था।
- रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. वर्ष 2018 में विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपार्ट में भारत का 77वां स्थान था।
2. इस रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों में भारत का रैंक पहला है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements -**

1. India was ranked 77th in 'Ease of Doing Business' Report in 2018.
2. India is ranked first in this report among the south Asian countries.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- "आर्थिक सुधारों के बाद अब भारत को एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है, जो विवादों को निपटाने में त्वरित भूमिका निभाए। इस संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. India now need a strong judiciary after economic reforms, whic would be fast in dispute redressal. Presenting your thought in this regads discuss it.

(250 Words)

नोट : 21 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence